

10 JUL 2012

निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदों परियोजना-नुसार उनके नाम के सम्पूर्ण अंकित राजकीय आवास, उनके निवास हेतु नियमानुसार जिल्लामें घर निर्माणाधिकारों के आधार पर एकाधिकार आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वर्ष/दिनांक	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	86/2012	डा विजय सिंह जिल्हा अधिकारी सी.ए.एस. पीजी रेडिओ आरगनोसिस सवाई मानसिंह जिल्हालय जयपुर।	जीए/आ/डी 2/ 121 विद्यानगर-जयपुर।	30.6.2043
2.	87/2012	डा सतीश कुमार राव जिल्हा अधिकारी सी.ए.एस. पीजी रेडिओ आरगनोसिस सवाई मानसिंह जिल्हालय जयपुर।	जीए/आ/डी 2/ 122 विद्यानगर-जयपुर।	31.10.2042

Oic(Ateb.)  
A  
17-7-12

धर्मे

1. आवास का कब्जा आवंटन लेने की तिथि से 6 दिनों में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रद्द किया जाएगा।
2. रक्षा आवास का निर्माण राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अन्वयण और तत्सूची नियम, 1958 के अन्तर्गत अन्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बशुल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/पत्नी के नाम से पदस्थान स्थान पर निजी आवास बन जाने की शक्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. यदि कर्तव्य अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवंटन प्रावधान नियम, 1958 के विभाग 1(ग)के अनुसार में आदेश प्रस्तुत होने के आमतौर आवंटन की तिथि से 6 दिनों में अथवा आवंटन स्वीकार करने में प्रयास करने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अपने आवंटन पत्र के लिए पत्र नहीं भेजना है अतः की समाप्ति पश्चात उसे प्रेषित सूची में अपनी कुछ स्थिति में पुनः आवंटन का संकेत। अतः कर्तव्य निश्चय पत्रा यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. राजकीय निवास/आवास/आवास अधिकारी कर्म्य आवासी के अथवा आवास का कब्जा आवंटन लेने की तिथि से 8 दिनों में लिया जायेगा। अथवा निर्धारित अवधि उपर्युक्त आवासी अधिकारों का मजबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर कर्म्य के आदेश प्रसारित कर यदि इस विभाग को भिजवाने का प्रयत्न करायें।
8. आवासी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकाारी अभियन्ता/अवसायी अभियन्ता को यह सूचना करनी होगी :-
  1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवासी निरस्त जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवासी के अंतर्गत स्वयं/पत्नी व उन पर अधिगत किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया जायेगा।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तों में मान्य होगी।


राजस्थान की राजधानी

(संलग्न के साथ)  
संलग्न सदस्य-सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सहायीय आवासी/जिल्हा: कलेक्टर, जयपुर।
2. डिप्टी कमिश्नर, सामान्य विभाग, पीजी राविका, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सामंजसिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यकारी अधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर सिविल, जिल्हालय एम.3(1)अम-2 विभाग।
6. निदेशक, सवाई मानसिंह जिल्हालय अधिकाारी, जयपुर।
7. अधिकाारी, सवाई मानसिंह जिल्हालय, जयपुर।
8. निदेशक, जिल्हा एम.3(1)अम-2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।

9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० विद्यानगर-नगर, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
17. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
18. संक्षिप्त पत्रावली।

  
 (मनफूल वैख)

शासन सहायक सचिव